न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

पीठासीन अधिकारी – राम निवास मेहता

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
67 / 2021	17.8.2021	10/1/25

1. कमलकुमार पुत्र श्री मुरारीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम इटावा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
2. दिपिका पुत्री श्री मुरारीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम इटावा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
3. चन्द्रशेखर पुत्र श्री चौथमल जाति धाकड निवासी ग्राम इटावा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
4. दिपक पुत्र श्री चौथमल जाति धाकड निवासी ग्राम इटावा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

वादीगण

–बनाम–

1. कान्ति बाई पुत्री रामनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम इटावा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
2. गुडडी बाई पत्नि मुरारीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम इटावा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
3. द्रोपदी बाई पत्नि चौथमल जाति धाकड निवासी ग्राम इटावा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
4. प्रभुलाल पुत्र रामनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम इटावा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
5. भंवरलाल पुत्र रामनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम इटावा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
6. भँवरीबाई पुत्री रामनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम इटावा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
7. रेखा बाई पुत्री चौथमल जाति धाकड निवासी ग्राम इटावा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
8. शिवानी पुत्री मुरारीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम इटावा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

प्रतिवादीगण

वादीगण अधिकवक्ता:– पृथ्वीराज वैष्णव

प्रतिवादीगण अधिवक्ता:– इन्द्रजीत मीणा

Ramniwas
उपखण्ड अधिकारी
इटावा

निर्णय
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट

संक्षेप्त में वाद पत्र इस प्रकार है कि ग्राम श्योपुरा पटवार हल्का बम्बूलियाकलॉ भू0 अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 की खाता संख्या नयी 68 व पुरानी 66 की ख0न0 241 रकबा 3.44 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकवा 3.44 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसमे वादीगण का 1/24, 1/24 हिस्सा निहित है।

इसी प्रकार ग्राम सन्मानपुरा पटवार हल्का सन्मानपुरा भू:अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 की खाता संख्या नयी 136 व पुरानी 117 की ख0न0 291 रकबा 0.83 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.83 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसमे वादीगण का 1/24, 1/24 हिस्सा निहित है, जिसे वाद पत्र की आगे कि मदो मे विवादित आराजीयात् कहाँ गया है।

यह कि विवादित आराजीयात् वादीगण के संयुक्त खाते व कब्जा काश्त की आराजी है जिसमे वादी क्रम 1 का नाम नाबालिग कमलेशंकर पुत्र मुरारीलाल व प्रतिवादी क्रम 04 नाबालिक दर्ज है तथा वादी क्रम क्रम 2 का नाम नाबालिग दिपा पुत्री मुरारीलाल दर्ज है तथा वादी क्रम 3 का नाम चन्द्रप्रकाश पुत्र चौथमल दर्ज है तथा वादी क्रम 4 का नाम ग्राम सन्मानपुरा छोटुराम पुत्र चौथमल तथा ग्राम श्योपुरा की जमाबन्दी मे छोटुलाल पुत्र चौथमल के नाम से राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है जो कि वादीगण के बचपन के नाम है किन्तु बाद के अन्य रिकॉर्ड यथा प्रशासनिक, स्कुल, राशनकार्ड, आधार कार्ड, आदि मे वादीगण के नाम कमलेशंकर की जगह कमलकुमार पुत्र मुरारीलाल, दिपा की जगह दिपिका नागर पुत्री मुरारीलाल, चन्द्रप्रकाश की जगह चन्द्रशेखर पुत्र चौथमल, छोटुराम तथा छोटुलाल के स्थान पर दीपक दर्ज है। वादीगण के दोनो नाम एक ही व्यक्ति के नाम है किन्तु वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे त्रुटिपुर्वक कमलकुमार पुत्र श्री मुरारीलाल दिपिका पुत्री श्री मुरारीलाल, चन्द्रशेखर पुत्र श्री चौथमल दिपक पुत्र श्री चौथमल के स्थान पर कमलकुमार की जगह नाबा, कमलेशंकर दिपिका की जगह नाबा. दिपा, चन्द्रशेखर की जगह चन्द्रप्रकाश तथा दीपक की जगह ग्राम श्योपुरा की राजस्व रिकॉर्ड मे छोटुलाल व ग्राम सन्मानपुरा के राजस्व रिकॉर्ड मे छोटुराम दर्ज हो रहे हैं। वादीगण के दो भिन्न–भिन्न रिकॉर्ड व नाम हो जाने के कारण वादीगण को कृषि विकास कार्यों को करवाने, बैंक लोन आदि लेने मे काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है इस कारण वादीगण को कमल कुमार, दिपिका, चन्द्रशेखर दीपक के नाम खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

यह कि वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे नाबालिक कमलेशंकर पुत्र मुरारीलाल की जन्म तिथि 25.05.2001 है इस प्रकार वादी क्रम 01 की उम्र 20 वर्ष है, इसी प्रकार नाबा. दिपा पुत्री मुरारीलाल की जन्म तिथि 22.09.1998 है इस प्रकार वादी क्रम 02 की उम्र 23 वर्ष है, जो कि बालिग हो चुके है इस कारण वादीगण को नाबालिक के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड मे बालिग दर्ज करवाने का अधिकार है।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

यह कि उपरोक्त राजस्व रिकॉर्ड मे वादीगण का नाम कमल कुमार पुत्र मुरारीलाल, के स्थान पर कमलेशंकर पुत्र मुरारीलाल व दिपिका पुत्री मुरारीलाल की जगह दिपा पुत्री मुरारीलाल हो जाने के कारण व उक्त वादीगण नाबालिक दर्ज होने के कारण, तथा चन्द्रशेखर पुत्र चौथमल के स्थान पर चन्द्रप्रकाश पुत्र चौथमल, व ग्राम श्योपुरा के राजस्व रिकॉर्ड मे दिपक पुत्र चौथमल के स्थान पर छोटूलाल पुत्र चौथमल, ग्राम सन्मानपुरा के राजस्व रिकॉर्ड मे दिपक पुत्र चौथमल के स्थान पर छोटूराम पुत्र चौथमल हो जाने से वादीगण को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है वादीगण ने प्रतिवादी क्रम 9 से कई बार राजस्व रिकॉर्ड की उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने बाबत् किया किन्तु उन्होने कोई ध्यान नही दिया व टालमटोल किया उन्होने कोई कार्यवाही नही की तथा वादीगण द्वारा दिनांक 01.08.2021 को अन्तिम बार निवेदन करने पर प्रतिवादी क्रम 9 द्वारा सक्षम न्यायालय मे कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया इस कारण वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया है।

यह कि वाद कारण विवादित आराजी मे वादीगण द्वारा दिनांक 01.08.2021 को प्रतिवादी क्रम 9 से वादीगण का नाम दुरूस्त करने का निवेदन करने व नाबालिग को बालिक दर्ज करवाने का निवेदन करने तथा प्रतिवादी क्रम 9 द्वारा विवादित आराजी मे वादीगण का नाम व नाबालिग को बालिक दुरूस्त करने से इन्कार करने व सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु आदेशित करने पर उत्पन्न हुआ है।

अतः वादीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष मे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय कि डिक्री पारित फरमायी जावे:-

(अ) कि विवादित आराजी ग्राम श्योपुरा पटवार हल्का बम्बूलियाकलॉं भू० अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की खाता संख्या नयी 68 व पुरानी 66 की ख०न० 241 रकबा 3.44 हैक्टेयर, भूमि मे व ग्राम सन्मानपुरा पटवार हल्का सन्मानपुरा भू० अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की खाता संख्या नयी 136 व पुरानी 117 की ख०न० 291 रकबा 0.83 हैक्टेयर, भूमि मे वादीगण का नाम कमलकुमार, दिपिका, चन्द्रशेखर, दीपक दर्ज किया जावें, तथा वादीगण को कमलकुमार, दिपिका, चन्द्रशेखर, दीपक से घोषित किया जायें।

(ब) वादीगण कमलकुमार, दिपिका, दिपक को उक्त आराजी में नाबालिग के स्थान पर बालिग दर्ज किया जावें।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी न्यायालय श्रीमान उचित समझे वादीगण को प्रदान कि जावें।

वाद दर्ज रजि० किया जाकर। प्रतिवादीगण 1 ता 7 की ओर से श्री इन्द्रजीत मीणा द्वारा वकालतनाम पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण 1 ता 8 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते जवाब सरकार हेतु मुकर की गई। दिनांक 05.09.2024 को तहसीलदार पीपल्दा द्वारा जवाब सरकार पेश।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

जवाब सरकार में सरकार पैरोकार नायब तहसीलदार पीपल्दा द्वारा वादीगण व जमाबंदी में दर्ज नाम एक ही होना बताया गया है। पत्रावली का अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, मार्कशीट में वादीगण का नाम कमलकुमार, दिपिका, चन्द्रशेखर, दीपक दर्ज है। पत्रावली में प्रतिवादी के प्रस्तुत जवाब सरकार में जवाब सरकार में सरकार पैरोकार नायब तहसीलदार पीपल्दा द्वारा वादीगण व जमावंदी में दर्ज नाम एक ही होना बताया गया है। उक्त विवेचन के आधार पर जवाब सरकार में सरकार पैरोकार नायब तहसीलदार पीपल्दा द्वारा वादीगण व जमावंदी में दर्ज नाम एक ही होना बताया गया है अतः वादीगण को कमल कुमार, दीपिका, चन्द्र शेखर, दीपक के नाम से खातेदार घोषित किया जावे तथा वादीगण कमलकुमार, दीपिका, दीपक को उक्त आराजी में नाबालिक के स्थान पर बालिग दर्ज करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वाके ग्राम श्योपुरा पटवार हल्का बम्बूलियाकलॉ भू० अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की खाता संख्या नयी 68 व पुरानी 66 की ख0न0 241 रकबा 3.44 हैक्टेयर, भूमि में वादीगण का नाम कमलेशंकर की जगह कमलकुमार, दीपाबाई की जगह दीपिका, चन्द्रप्रकाश की जगह चन्द्रशेखर, छोटूलाल की जगह दीपक व ग्राम सन्मानपुरा पटवार हल्का सन्मानपुरा भू० अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की खाता संख्या नथी 136 व पुरानी 117 की ख0न0 291 रकबा 0.83 हैक्टेयर, भूमि मे वादीगण का नाम कमलेशंकर की जगह कमलकुमार, दीपाबाई की जगह दीपिका, चन्द्रप्रकाश की जगह चन्द्रशेखर, छोटूराम की जगह दीपक के नाम से खातेदार घोषित किया जावे तथा ग्राम श्योपुरा व वाके ग्राम सन्मानपुरा में वादीगण कमलकुमार, दिपिका, दीपक को उक्त आराजी में नाबालिक के स्थान पर बालिग दर्ज किया जावे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किए जाने के आदेश प्रतिवादीकम 9 को दिए जाते है। तदनुसार डिकी जारी की जावें।

निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर आज दिनांक 10/1/25 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

डिकी मुकदमा इब्राई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– रामनिवास मेहता (आर.ए.एस)

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
		10/1/25
67 / 2021	17.8.2021	

1. कमलकुमार पुत्र श्री मुरारीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम इटावा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
2. दिपिका पुत्री श्री मुरारीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम इटावा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
3. चन्द्रशेखर पुत्र श्री चौथमल जाति धाकड निवासी ग्राम इटावा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
4. दिपक पुत्र श्री चौथमल जाति धाकड निवासी ग्राम इटावा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

वादीगण

–बनाम–

1. कान्ति बाई पुत्री रामनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम इटावा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
2. गुडडी बाई पत्नि मुरारीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम इटावा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
3. द्रोपदी बाई पत्नि चौथमल जाति धाकड निवासी ग्राम इटावा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
4. प्रभुलाल पुत्र रामनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम इटावा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
5. भंवरलाल पुत्र रामनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम इटावा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
6. भँवरीबाई पुत्री रामनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम इटावा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
7. रेखा बाई पुत्री चौथमल जाति धाकड निवासी ग्राम इटावा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
8. शिवानी पुत्री मुरारीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम इटावा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

प्रतिवादीगण

वादीगण अधिकवक्ता:– पृथ्वीराज वैष्णव

प्रतिवादीगण अधिवक्ता:– इन्द्रजीत मीणा

Ramniwas

उपखण्ड अधिकारी

इटावा

निर्णय
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री पृथ्वीराज वैष्णव एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू.................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाके ग्राम श्योपुरा पटवार हल्का बम्बूलियाकलॉ भू० अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की खाता संख्या नयी 68 व पुरानी 66 की ख0न0 241 रकबा 3.44 हैक्टेयर, भूमि में वादीगण का नाम कमलेशंकर की जगह कमलकुमार, दीपाबाई की जगह दीपिका, चन्द्रप्रकाश की जगह चन्द्रशेखर, छोटूलाल की जगह दीपक व ग्राम सन्मानपुरा पटवार हल्का सन्मानपुरा भू० अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की खाता संख्या नथी 136 व पुरानी 117 की ख0न0 291 रकबा 0.83 हैक्टेयर, भूमि मे वादीगण का नाम कमलेशंकर की जगह कमलकुमार, दीपाबाई की जगह दीपिका, चन्द्रप्रकाश की जगह चन्द्रशेखर, छोटूराम की जगह दीपक के नाम से खातेदार घोषित किया जावे तथा ग्राम श्योपुरा व वाके ग्राम सन्मानपुरा में वादीगण कमलकुमार, दिपिका, दीपक को उक्त आराजी में नाबालिक के स्थान पर बालिग दर्ज किया जावे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किए जाने के आदेश प्रतिवादीकम 9 को दिए जाते है।

त्दनुसार डिकी जारी की जाती है।

डिकी मेंरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक ....10/1/25.......... को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा